कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इटावा

दिनांक : 04 जुलाई, 2020

आदेश संख्या– 89

आदेश

प्रभारी जनपद न्यायाधीश, इटावा द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश संख्या–78 दिनांकित 23 जून, 2020 के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर, इटावा कन्टेनमेंट जोन में आ जाने के कारण माननीयउच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या पी.एस.(आर.जी./52/2020) इलाहाबाद दिनांक 02.05.2020 में दिये गये निर्देशों के आलोक में अग्रिम आदेश तक के लिए बन्द कर दिया गया था।

मुख्य चिकित्साधिकारी, इटावा के पत्र संख्या–CMO/XX-J.A./2020/3306 Dated 04.07.2020 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जनपद न्यायालय परिसर, इटावा की स्थिति कन्टेनमेन्ट जोन में नहीं रही है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या–1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated: 03 June, 2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये जनपद न्यायालय, इटावा में दिनांक 06.07.2020 से न्यायालयों में कार्य सम्पादित किया जायेगा। साथ ही वर्चुअल कोर्ट भी यथावत संचालित रहेगी।

प्रशासनिक अधिकारी, इटावा को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी तत्सम्बन्धित व बार एशोसियेशन को सूचित करें तथा आदेश का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये।

जनपद न्यायाधीश,
इटावा।

जिला सूचना अधिकारी